उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

संख्या-1276 / VI-2 / 2011-82(27) / 2011

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

7406
19/12/11

संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 07 दिसम्बर, 2011

विषय :-अनुसूचित जाति के एकल कलाकारों को पारम्परिक वाद्य यंत्र-ढोल, दमाऊं, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढाल-तलवार आदि निःशुल्क वितरित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2430 / सा0नि0उ0 / पांच-59 / 2011-12, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा [illegible] अनुसूचित जाति के एकल कलाकारों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन पारम्परिक वाद्य यंत्र-ढोल दमाऊं, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढाल-तलवार आदि निःशुल्क प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. किसी कलाकार को आजीवन वाद्य यंत्र एक बार ही दिया जायेगा।
2. सम्बन्धित कलाकार की मासिक आय रू 2000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार स्तर से लिया जायेगा।
3. एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्य यंत्र नहीं दिया जायेगा।
4. सम्बन्धित कलाकार को वाद्य यंत्र दिये जाने की संस्तुति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत की जायेगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।
   1) वित्त विभाग का प्रतिनिधि, उपसचिव से अनिम्न स्तर का हो - सदस्य।
   2) नियोजन विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से अनिम्न स्तर का हो - सदस्य।
   3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून - सदस्य सचिव।
   4) संगीत / नृत्य नाटक, ललित कला तथा साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्ट व्यक्ति जो शासन द्वारा 03 वर्ष के लिए नामित किए जायेंगे - सदस्य।
5. एक कलाकार को एक ही वाद्य यंत्र दिया जायेगा।
6. परम्परागत वादक परिवार (बाजगीय) के कलाकार को वाद्य यंत्र दिये जाने हेतु वरीयता दी जायेगी।

सहा. निदेशक

2/-

7. सम्बन्धित कलाकार की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. यदि किसी कलाकार को संस्कृति विभाग की किसी अन्य योजना में कोई आर्थिक सहायता अथवा वाद्य यंत्र प्राप्त हुआ हो, तो उसे यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा। सम्बन्धित कलाकार को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसे विभाग की अन्य योजना से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन0एस0नेगी)
सचिव।

संख्या– /VI-2/2011–82(27)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को सम्बन्धित वैबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग को अशासकीय पत्र संख्या–4/2/XXI/XXI/2011–सी. एक्स. दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के क्रम में सूचनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0चन्दोला)
उप सचिव